703899030
619

कार्यालय महालेखाकार (ले0 व हक0)द्वितीय
20 सरोजनी नायडू मार्ग उ0प्र0 इलाहाबाद
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402
पत्रांकः–पेंशन विविध/LID-7245,4985,16349
SSA-DR Dy-115 1705

दिनांक 06-09-2017

सेवा में,

AG(A&E) Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad. 500004

विषयः– 1. उ0प्र0 शासन संख्या 301/90–1–2017–53 सं–2002 दिनांक 15.06.2017
2. वित्त (आयोग) अनुभाग–2 शासनादेश संख्या वे0आ0–2–401/2017/ दस–2017 दिनांक 31.05.2017.
3. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 शासनादेश संख्या 3/2017 वे0आ0–1–465/ दस–2017–8(एम) /2016 दिनांक 13.07.2017.

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें /

संलग्नः– यथोपरि

भवदीय

लेखाधिकारी/पेंशन विविध

OGP

प्रधान महालेखाकार (ले एवं ह) का कार्यालय
O/o. the Prl. Accountant General (A&E)
INWARD
15 SEP 2017
No.
आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना
Andhra Pradesh & Telangana
हैदराबाद/Hyderabad - 500 004.

O/o Prl. Accountant General (A&E)
AP & Telangana, Hyderabad
18-SEP-17
486679

486679 A

(2)

उत्तर प्रदेश शासन संख्या-20-2017/सा-3-365/दस-2017- 301/2000टी0सी0 लखनऊ : दिनॉक 14 जुलाई, 2017	Government of Uttar Pradesh Finance (General) Section-3 No. 20/2017/sa-3-365/X-2017 T.C. Dated : Lucknow : 14 July, 2017
कार्यालय-ज्ञाप	Office - Memorandum
विषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति।	Subject: Grant of dearness relief to State Government's civil / family pensioners.
उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2016 की संस्तुतियों के क्रम में दिनॉक 01 जनवरी, 2016 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अभिनवीकरण/निर्धारण के संबंध में निर्गत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-38/2016/सा-3-921/दस-2016-308/2016 दिनॉक 23 दिसम्बर, 2016 द्वारा राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनॉक 01 जुलाई, 2016 से 02 प्रतिशत महँगाई राहत स्वीकृत की गयी थी।	Vide government order No. 38/2016/Sa-3- 921/ X- 2016- 308 / 2016 dated December 23, 2016 and government order No. 39/2016/Sa-3-921/ X- 2016- 308/ 2016 dated December 23, 2016 issued in connection with revision / determination of pension / family pension subsequent to the recommendations of the Uttar Pradesh Pay Committee, 2016, dearness relief of 02 percent was granted w.e.f. July 01, 2016 to the government pensioners / family pensioners of the State.
2- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेशों की व्यवस्थाओं के अधीन स्वीकृत /संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर श्री राज्यपाल द्वारा दिनॉक 01 जनवरी, 2017 से महँगाई राहत की 02 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।	2- The undersigned is directed to say that the Governor is pleased to grant one more instalment of dearness relief of 02 percent w.e.f. July 01, 2017 on the pension/ family pension revised/ determined under the provisions of the government orders referred to above.
3- पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में दिनॉक 01 जनवरी, 2017 से 04 प्रतिशत	3- As a consequence of the above-mentioned 02 percent rise, the dearness relief payable on the pension/family

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है कताक्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की उपर्युक्त बढोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की दर 02 प्रतिशत बढकर दिनाँक 01 जुलाई, 2017 से 04 प्रतिशत हो जायेगी।	pension will rise from existing 02 percent to 04 percent with effect from July 01, 2017.	
4- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।	4- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee.	
5- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृष्ठांकन संख्या-18/2017/सा-3-जी0आई0-15/दस-2017-301/2000, दिनाँक 11 जुलाई, 2017 द्वारा जारी कर दिया गया है।	5- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings / corporations etc. in respect of whom separate orders will be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service pensioners / family pensioners have been issued vide endorsement number- 18/2017- G-3-G.I.-15/X-2017-301/2000, dated July 11,2017,	
6- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।	6- These orders will also be applicable to the pensioners of the institutions aided from State Fund, under the Education/ Technical Education Departments, whose pension / family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.	
7- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनाँक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर	7- As per orders issued in O.M. No. A-1- 252 / X- 10 (3)- 81, dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, कताक्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की उपर्युक्त बढोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की दर 02 प्रतिशत बढकर दिनाँक 01 जुलाई, 2017 से 04 प्रतिशत हो जायेगी।	pension will rise from existing 02 percent to 04 percent with effect from July 01, 2017.	
4- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।	4- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee.	
5- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृष्ठांकन संख्या-18/2017/सा-3-जी0आई0-15/दस-2017-301/2000, दिनाँक 11 जुलाई, 2017 द्वारा जारी कर दिया गया है।	5- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings / corporations etc. in respect of whom separate orders will be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service pensioners / family pensioners have been issued vide endorsement number- 18/2017- G-3-G.I.-15/X-2017-301/2000, dated July 11,2017,	
6- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।	6- These orders will also be applicable to the pensioners of the institutions aided from State Fund, under the Education/ Technical Education Departments, whose pension / family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.	
7- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनाँक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर	7- As per orders issued in O.M. No. A - 1- 252 / X- 10 (3)- 81, dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है कताक्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।	pension and as such the payment of dearness relief shall be made by the concerned pension disbursing authorities on the basis of this office memorandum alone.
8- महँगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित है, पूर्ववत् लागू रहेंगे।	8- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.
नील रतन कुमार, विशेष सचिव, वित्त।	Neel Ratan Kumar Special Secretary, Finance.
सेवा में, (1)-उत्तर प्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण। (2)-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं ऑडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (3)-महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	To, (1)-All Principal Secretaries / Secretaries to Government of Uttar Pradesh, Heads of Departments / Offices, all Treasury Officers and other officers as per previous distribution list. (2)-Accountant General (Account & Entitlement)-1,2 & Audit-1,2, Uttar Pradesh] Allahabad. (3)-Office of Accountant General, Uttarakhand, Dehradun.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है कताक्षरं की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।